कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13433/2021 पुष्पलता बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 60 दिवस की अवधि में एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी पुष्पलता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वे शिक्षा विभाग में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त कार्यग्रहण तिथि 05.08.95 से पूर्व दिनांक 02.11.91 से 11.02.92 तक तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापक, दिनांक 12.02.92 से 13.12.94 तक द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक एवं 14.12.94 से 04.01.95 तक व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर कार्यरत रहीं। याचिकार्थी द्वारा स्वयं को शिक्षा विभाग में 02.11.1991 से निरन्तर मानते हुए 31.07.2020 तक 28 वर्ष सेवाकाल की गणना कर पेंशन सेवा योग्य सेवा 28 वर्ष मानते हुए पेंशन परिलाभ दिलवाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशा/नियमों /परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी श्रीमती पुष्पलता ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु सेवा से त्याग–पत्र दिया जिसे निदेशालय के आदेश दिनांक 05.01.95 द्वारा 04.01.95 से स्वीकृत किया गया।

पेंशन नियम 1996 के नियम 25 (1) में यह उल्लिखित है कि सेवा या पद से त्याग पत्र देने पर सेवा का समहरण (Forfeiture) हो जाता है। लिहाजा श्रीमती पुष्पलता द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में त्याग पत्र से पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा में जोडे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/पुष्पलता/13433/2021/14 **दिनांकः** 21.2.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
10. श्रीमती पुष्पलता, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)